Research Paper Political Sciencet

लोकतंत्र की मांग : सषक्तिकरण न कि कल्याण

Democracy Demands : Empowerment not Welfare

* Dr. Surya Bhan Singh

* Assistant Professor & Co-ordinator Deptt. Of Political Science, Uttarakhand open University, Haldwani ,Nainital(263139)

ABSTRACT

भारत को आजाद हुए 66 वर्श बीत चुके हैं। और हम प्रगति की अद्भुत उचाईयों को छूते जा रहे हैं।जिससे हमारे देष की पहचान अंतर्राश्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहता है।चाहे वह सकल घरेलू उत्पाद की दृश्टि से हो, चाहे वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की दृश्टि से।अभी हाल ही में मंगल यान के सफल प्रक्षेपण से तो हमने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर देष को इस दृश्टि से विश्व के चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है।इसके साथ ही हमने दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव का निश्पक्ष संचालन करवा कर विश्व में भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया का लोहा मनवा दिया ।

इन उपलब्धियों के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारतीय लोकतंत्र में, तंत्र के भाग्य का फैसला, करने वाली लोक को, अपने भाग्य का फैसला करने की स्थितियाँ प्राप्त हुई हैं।तो उत्तर षायद नहीं है।तभी तो आज भी लोक को अर्थात जनता को षासन के कल्याणकारी नीतियों की तरफ मुँह किये रहना है।जबकि तंत्र के भाग्य का फैसला करने वाली लोक के लिए कल्याण की नहीं वरन सषक्तिकरण के लिए नीतियां होनी चाहिए।प्रस्तुत षोधपत्र में उक्त के सन्दर्भ में ही अध्ययन किया गया है।

Keywords : लोकतंत्र, सषक्तिकरण, कल्याण, 'व्याधि', 'अज्ञान', 'गंदगी', 'गरीबी' और 'बेकार'

लोकतंत्र–आज के समय की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली लोकतंत्र है।लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है 'लोक' और 'तंत्र'।'लोक' का अर्थ वह 'सम्पूर्ण जनता' है जो सम्बंधित देश में निवास करती है 'तंत्र' का अर्थ 'शासन' है अर्थात लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का शासन हो।इस सन्दर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा का उल्लेख करना नितांत आवश्यक है ''लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है।'' भारतीय सन्दर्भ में लोकतंत्र को प्रो. आलोक पंत के अनुसार इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि ''लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग को समान रूप से शासन में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो ।प्रो. आलोक पन्त ने इससे आगे भी कहा है कि इतना कह देने से ही काम नहीं चलेगा वरन इसकी सिद्धि के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएं हैं, जिसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते है कि ''लोकतंत्र वह शासन है जिसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक स्तर पर प्रतियोगी राजनीतिक दलों की उपस्थिति में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधियों के चुनाव की व्यवस्था, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर हो, जिसमें निर्णय तो बहुमत से लिए जाएँ परन्तु अल्पमत के हित को भी सुरक्षा गारंटी प्राप्त हो सके ।क्योंकि बहुमत निर्णय की पद्धति है न कि शासन का तरीका ।''

कल्याण – कल्याण षब्द को सुनते ही मन में यह विचार स्वाभाविक रूप से उठता हुआ प्रतीत होता है कि जहाँ भी इस षब्द का प्रयोग हो रहा है, जिस सन्दर्भ में भी प्रयोग हो रहा है ,वहाँ दो समूह अवष्य विद्यमान हैं,जिसमें एक कुछ छोटी मोटी सुविधाएं प्राप्त करने की चाह रखता है तो दूसरा उन सुविधाओं को प्रदान करने वाला महादाता है ।इन दोनों समूहों में पहला 'आमआदमी' हैं जो अपने स्वास्थ्य, षिक्षा, वस्त्र और भोजन तक के लिए दूसरे पक्ष अर्थात 'सरकार' का मुंह देखती है ।

अब यदि हम इस षब्द की व्युत्पत्ति को देखें तो यह और भी स्पश्ट हो जायेगी ।लेकिन इस षब्द की चर्चा करने से पहले यह बताना भी आवष्यक है कि इसके पूर्व राज्य की प्रकृति के सन्दर्भ में उदारवादियों ने राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन का दावा किया ।लेकिन हम स्पश्ट करना चाहते हैं कि जब सभी को सामान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो वह केवल षक्तिषाली की स्वतंत्रता में परिवर्तित हो जाती है और हुआ भी वही ।क्योंकि इसके आगे के चरण में उदारवादियों ने राज्य को कुछ सकारात्मक दायित्व निभाने के लिए हस्तक्षेप करने का भी समर्थन भी किया ।हम बताना चाहते है यह लोकहित में लिया जाने वाला निर्णय कम व्यावसायिक जगत को मंदी से उबारने के लिए किया जाने वाला प्रयास अधिक था।

कल्याणकारी राज्य षब्द का प्रयोग सबसे पहले 'आर्कबिषप टैम्पिल' ने अपने 'सिटीजन एंड चर्चमैन' में अधिनायकों के सत्तावादी राज्य के विरोध में किया था ।साथ ही इसमें 'व्याधि', 'अज्ञान', 'गंदगी', 'गरीबी' और 'बेकार' का निराकरण करने से राज्य को जोड़ने पर बल दिया ।

सषक्तिकरण – देष की आजादी की लड़ाई में समाज के सभी तबके ने बढ़चढकर भाग लिया और देष को आजादी मिली।इस सपने के साथ कि अब हमारे लिए काम करने वाली हमारी सरकार होगी जो हमें परतंत्रता के लोक से निकालकर स्वतन्त्रतालोक की ओर आगे बढ़ने का अवसर देगी और हमें किसी की तरफ मुँह नहीं करना होगा।इस प्रकार से मुख्य बल सषक्तिकरण पर दिया जा रहा था।इस प्रकार सषक्तिकरण का तात्पर्य यह है कि अब तक हासिये पर रहे व्यक्तियों और समुदायों को ऐसी स्थितियाँ और ऐसे अवसर प्रदान किये जाएँ, जिससे वे समानता के आधार पर समकक्ष खड़े हो सके, साथ ही जिन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े।अंततः निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेकर अब तक के मजबूत तबके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राश्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके।लेकिन इसके लिए आवष्यक अधिकार देने भर से कार्य नहीं चलेगा, अधिकार के उपभोग की दषाएं भी उपलब्ध होना नितांत आवष्यक है।

''लोकतंत्र की मांग : सषक्तिकरण न कि कल्याण''– 'लोकतंत्र', 'कल्याण' और 'सषक्तिकरण' को स्पश्ट करने उपरान्त षोधपत्र के इस चरण में अब यह देखना होगा कि लोकतंत्र में किस प्रकार से और क्यों कल्याण पर सषक्तिकरण को वरीयता देना चाहिए।अब यदि हम किसी देष के सन्दर्भ, विषेश रूप से भारत के सन्दर्भ में देखने का प्रयास करेंगे जैसा कि हम यह देख चुके है कि 1947 में देष आजाद हो गया और देष में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। अब जब हम ऊपर स्पश्ट कर चुके हैं कि लोकतंत्र में सरकार के भाग्य का फैसला जनता के हाथ में होता है ।जनता ही संप्रभु होती है।जैसा की भारतीय संविधान की प्रस्तावना से भी स्पश्ट है ''हम भारत के लोग .....इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।'' अब सवाल उठाता है कि जब अंतिम सता जनता के हाथ में होती है तो जनता के भाग्य का फैसला किसके हाथ में।यदि जनता के भाग्य का फैसला जनता न करे बल्कि जनता के प्रतिनिधि करे, जैसा कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में होता है तो सवाल उठाता कि क्या ऐसी स्थिति में भी लोकतंत्र के मूल्यांकन का प्रष्न उठता है ।चूंकी लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है इस लिए लोकतंत्र का उद्देष्य जनमानस का सषक्तिकरण ही होना चाहिए। क्यों जब अंतिम सता जनता में निहित है, तो उस सता के प्रयोग की दषाएं नितांत आवष्यक हैं कि इन आवष्यक दषाओं का तात्पर्य है कि जनता को जीवन की बुनियादी सुविधाओं में इतना सक्षम होने का अवसर प्राप्त हो जिससे वह स्वतन्त्रतापूर्वक यह निर्णय ले सके कि कौन और क्यों सरकार का संचालन करेगा। इस लिए इस बात को सुनिष्चित करने के लिए देष के समस्त नागरिको को निर्बाध रूप से जीवन की बुनियादी सुविधाओं में सक्षम बनाना होगा अर्थात वे ऐसी स्थिति में हों कि अपने स्वास्थ्य, षिक्षा, पोशण की समस्याओं से लड़ने में खुद सक्षम हों।यदि इन बुनियादी आवष्यकताओं की पूर्ति में जनमानस सक्षम नहीं होगा तो निष्चित रूप से बेगार का भी षिकार होगा।फिर चाहे कितने भी क़ानून बेगार को रोकने के लिए क्यों न बना दिए जाए। यहाँ हम एक बात और स्पश्ट करना चाहते हैं कि यह सषक्तिकरण के प्रयास राश्ट्र और समुदाय के स्तर पर तो हों ही, व्यक्ति के स्तर पर भी दिखाई देने चाहिए।साथ ही अब तक हासिये पर रहने वाले समुदायों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिपिछड़े और इन सबमें महिलाओं को विषेश रूप से ऐसी दषाएं उपलब्ध हों जिससे वे आत्मनिर्भर होकर अपने व्यक्तित्व के विकास के सन्दर्भ में स्वतन्त्र निर्णय ले सके और समान रूप से एक स्वतंत्र नागरिक का जीवन जी सके ।यदि ऐसा नहीं है तो लोकतन्त्र पर सवाल खडा होता है।जैसा कि आज भी भारत में 66 वर्श की स्वतंत्रता के बाद भी सरकार का जोर मुख्य रूप से कल्याणकारी नीतियों पर ही है अर्थात आज भी परम्परागत रूप से हासिये पर रहने वाले समुदायों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सरकार का मुंह देखना पड़ रहा है।यदि हम संक्षेप में कहे तो आज भी अन्त्योदय, अन्नपूर्णा जैसी योजनायें ही देष में क्षुधा षान्ति का सबसे बड़ा माध्यम बन रही हैं।इसके आगे भी हम देखें तो तस्वीर और भी साफ़ होगी कि प्राथमिक विद्यालयों में आज वही बच्चे जा रहे हैं जो सामान्य नर्सरी स्कूल की भी फीस नहीं दे पा रहे हैं।उन बच्चों के स्कूल आने का एक और आकर्शण मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाला भोजन, साथ ही साथ वस्त्र भी है। अब सवाल उठता है कि जो जनता लोकतंत्र में सरकार के भाग्य का फैसला करती है, उसकी यह स्थिति होने पर

ISSN - 2250-1991

क्या सरकार के वर्तमान स्वरूप को लोकतंत्र कहना युक्तियुक्त है।मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोकतंत्र पर सवाल खडा करता हूँ कि जब हम सरकार के भाग्य विधाता हैं तो हम ऐसी स्थिति में हों कि हम स्वतंत्र निर्णय लेकर सरकार के भाग्य का फैसला कर सके ।इस लिए आवष्यकता इस बात की है यदि षासन को वास्तविक धरातल पर लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित करना है तो जनता को सषक्त करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम लाने चाहिए और उसके लाभ भी सभी तक पहुँच सकें इस बात को भी सुनिष्चित करने का स्पश्ट संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक प्रबंध होना चाहिए ।

हाल के वर्शो में कुछ ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ किये गए हैं जो निष्चित रूप से सषक्तिकरण के लिए किये जाने वाले प्रयास कहे जा सकते हैं ।जैसे महात्मा गाँधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, षिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा को सुनिष्चित करने के लिए भोजन के अधिकार का क़ानून जिसमें राज्य स्तर छत्तीषगढ़ में पहले से संचालित है ।जब की राश्ट्रीय स्तर पर अभी क़ानून बनाया गया है ।परन्तु इन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता ।साथ ही यह देर से उठाया गया कदम है ।लेकिन फिर भी स्वागत योग्य है क्योंकि भारत में अब कल्याणकारी नीतियों के साथ सषक्तिकरण से सम्बंधित कार्यक्रमों को भी आगे बढाया जा रहा है ,यही लोकतंत्र की माँग है ।

निश्कर्ष– उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम इस निश्कर्श पर पहुंचे हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के के लिए, जनता द्वारा, किया जाने वाला षासन है।इस लिए यह वास्तव में जनता के षासन के रूप में स्थापित हो सके, इसलिए यह आवष्यक है इसके लिए संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक स्तर पर, परंपरागत रूप से हासिये पर रहने वाले समुदायों और व्यक्तियों के हितों की गारंटी हो ।जिससे वे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए न्यूनतम आवष्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हों।इसलिए उनको सषक्त करने के कार्यक्रमों को प्रधानता देनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र में षासन के भाग्य विधाता को अपने हितों की सिद्धि के लिए किसी के कल्याण की राह न देखना पड़े।हाँ यदि नई लोकतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना की जा रही है तो प्राथमिक उपचार के तौर पर लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएँ ,लेकिन इसे अंतिम विकल्प के रूप न स्वीकार किये जाएं ।क्योंकि ऐसा करने पर समाज और षासन के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को आघात लगेगा।जिसका परिणाम होगा –जैसे कि भारत में आजादी और लोकतंत्र को अपनाने क`66 वर्श बाद भी लगभग 75 करोंण लोंगो को भोजन के संकट दिखाई दें रहे हैं।जिसके निराकरण के लिए खाद्य सुरक्षा क़ानून की जरूरत महसूस की गई है । जो स्वागत योग्य है ।

REFERENCES

1. डॉ. सूर्यभान सिंह –भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन, डॉ. सूर्यभान सिंह– भारत में कार्यपालिका का पतन,रुद्र,दत्त और सुन्दरम–भारतीय अर्थव्यवस्था, जे.सी.जौहरी –आधुनिक राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, सी.बी.गेना – तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं.,ब्रज किषोर षर्मा–भारतीय संविधान,डी.डी. बासु–भारतीय संविधान एक परिचय,,दैनिक समाचार पत्र– दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिदुस्तान, उत्तर उजाला, ज्पउमे वि्पदकपं एकुरुक्षेत्र, योजना।